प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-

(पत्रांक-188/2024 दिनांक 06.07.2024)

दिनांक- 06.07.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

थाना तमकुहीराज पुलिस टीम द्वारा एक अदद पीकप व एक मोटरसाइकिल कीमत लगभग 16,00,000/-रु0 (सोलह लाख रुपये) की सम्पत्ति गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गयी जब्त-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन चलाये जा रहे अभियान के तहत गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 06.07.2024 को थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा गैंगेस्टर अधिनियम के अपराधी द्वारा अवैधानिक कृत्यों से अर्जित सम्पत्ति से खरीदी गयी एक अदद पीकप बोलेरो वाहन संख्या UP 57 AT 7704 B व एक अदद मो0सा0 हीरो एच.एफ.डिलक्स वाहन संख्या UP 57 BM 5562 को थाना तमकुहीराज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 140/2024 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त समीर पुत्र अमीन निवासी भुलिया अगरवा थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर के विरुद्ध धारा 14(1) उत्तर प्रदेश समाज विरोधी गिरोह बन्द में प्रभावी पैरवी कर उक्त वाहनों को धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जब्त किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त अभियुक्त गौवध के मुकदमे में गिरफ्तार हुआ था जिस पर गैंगेस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

जब्तीकरण की गयी सम्पत्ति का विवरण-

एक अदद पीकप बोलेरो वाहन संख्या UP 57 AT 7704 B व एक अदद मो0सा0 हीरो एच.एफ.डिलक्स वाहन संख्या UP 57 BM 5562 (कीमत लगभग 16 लाख रुपये)

जब्तीकरण की कार्यवाही करने वाली टीम–

1- प्र0नि0 श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

2- उप निरीक्षक अर्सलान अहमद थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

3- कां0 लालमोहन चौहानथाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

एक अदद मोटरसाइकिल से तस्करी कर ले जायी जा रही कुल 135 पाउच अवैध देशी शराब (वाहन सहित कुल कीमत लगभग 58 हजार रुपये) के साथ एक शराब तस्कर गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अवैध शराब की परिवहन/निष्कर्षण/बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.07.2024 को थाना चौराखास पुलिस द्वारा एक मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्प्लेण्डर प्लस वाहन संख्या UP57E5364 से एक बोरी में 135 पाउच बन्टी बबली अवैध देशी शराब (प्रत्येक 200 ML) कुल

27 लीटर की बरामदगी करते हुए मौके से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त की गई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 120/2024 धारा 60/72 आबकारी अधि0 में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 120/2024 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-
विनोद कुमार राय पुत्र रंजीत राय निवासी ग्राम काला दीयल थाना सालिमपुर जिला पटना बिहार

बरामदगी का विवरण-
1- एक बोरी में 135 पाउच बन्टी बबली अवैध देशी शराब (प्रत्येक 200 ML) कुल 27 लीटर (कीमत लगभग 08 हजार रुपये)
2- एक अदद मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्प्लेण्डर प्लस वाहन संख्या UP57E5364 (कीमत लगभग 50 हजार रुपये)

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम-
01. प्रभारी निरीक्षक चन्द्रभूषण प्रजापति थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
02. उ0नि0 आकाशदीप शुक्ला थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
03. का0 अश्वनी यादव थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-
जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 60नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=
1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-00वाहन
2- 107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-67,व्यक्ति-447
3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(01)
4-जनपद में कुल गिरफ्तारी–(कुल-61)

सोशल मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर